


### फॉर्म अहताम

(निबन्ध 26)

राज्य अहताम उत्पादन कलक्टर मुख्यालय उत्तराखण्ड  
उत्तराखण्ड बनाम उत्तराखण्ड पत्रकार  
 विवाद संख्या 53, 188 RFACT दि. 53(A)/2009

तारीख क्रम	वृत्त/अधीनस्थ/अधीनस्थ मध्य हाजिरी/अधीनस्थ मध्य	नियंत्रण तारीख अहताम को इस वृत्त की तारीख में जारी हुए
20/5/09	<p>राज्य अहताम/पत्रकार-व्यक्तिगत          पेश हुआ है। दर्ज रजिस्टर किया जावे।          प्रतिबन्धी, फ़ॉर्म नॉ। रेपोडिज को सम्मन/          नोटिस जारी हो. र पत्रावली दि. 17/5/09          को पेश होवे।</p> <p><i>[Signature]</i>          सहायक कलक्टर एवं उप सचिव          अधिकारी, उत्तराखण्ड</p>	
17/5/09	<p>"पत्रावली पेश हुई। प्राज पठाली अधिकारी          समक्ष प्रवकाश न की जायेगी से व्यस्त होने          से पेशी इल्लम को जाकर पत्रावली दिनांक 13/7-09          को पेश हो। अज्ञात है।</p>	
13/7/09	<p>"पत्रावली पेश हुई। प्राज पठाली अधिकारी          समक्ष प्रवकाश न की जायेगी से व्यस्त होने          से पेशी इल्लम को जाकर पत्रावली दिनांक 13/8/09          को पेश हो। अज्ञात है।</p>	
3/8/09	<p>"पत्रावली पेश हुई। प्राज पठाली अधिकारी          समक्ष प्रवकाश न की जायेगी से व्यस्त होने          से पेशी इल्लम को जाकर पत्रावली दिनांक 14/9/09          को पेश हो। अज्ञात है।</p>	
14/9/09	<p>वृत्त अहताम (प्र. ना. अ. 1 व 2 को सम्मन          करीब 15/9/09 को पेश किया गया।          4 व 5 उप. नही। तीन बार आवेदन करा करने          की बावजूद उप. नही। अतः 15/9/09 को          सिविल मजिस्ट्रेट को सम्मन जारी कर दिया गया।          पत्रावली कास्टो जनरल द्वारा दि. 16/11/09 को पेश हो</p>	



**डिकी ब मुकदमे इब्तादाई**  
(ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)  
(सिविल प्रोसेडुर कोड एपीडिक्स डी-1)

अज अदालत -सहायक कलेक्टर औसिया ।

बड़जलास -रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 सोहनसिंह पुत्र श्री किशनसिंह		1 अणदसिंह पुत्र श्री धोकलसिंह
2 स्वरूपसिंह पुत्र श्री राणीदानसिंह		2 गुमानसिंह पुत्र श्री धोकलसिंह
3 चन्द्रसिंह पुत्र श्री राणीदानसिंह		3 दुर्गसिंह पुत्र श्री धोकलसिंह लाऔलाद
4 चैनसिंह पुत्र श्री राणीदानसिंह		फौत जिनके कायम मुकाम उसके झाई
5 टीकमसिंह पुत्र श्री राणीदानसिंह		प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2
जाति राजपूत निवासी औसिया		4 गंगाराम पुत्र श्री गोकलसिंह
तहसील औसिया जिला जोधपुर		5 जगमालसिंह पुत्र श्री गोकलसिंह
		जाति राजपूत निवासी औसिया
		तहसील औसिया जिला जोधपुर ।
		6 श्री तहसीलदार साहब, औसिया

**मुकदमा नम्बर 53 ए/2009**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु पक्षकार बहाजरी श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण की ओर से श्री प्रतापसिंह, अमरसिंह भाटी एडवोकेट मिन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम औसिया के खसरा नम्बर 1830 रकबा 6 बीघा, खसरा नम्बर 1839 रकबा 15 बीघा खसरा नम्बर 1841 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 1842 रकबा 7 बीघा 16 बीघा कुल रकबा 28 बीघा 18 बीघा भूमि में वादीगण संख्या 1 का 1/8 हिस्सा व वादीगण संख्या 2 से 5 का 1/8 हिस्से के अनुसार बन्तवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि बाद विभाजन प्रतिवादीगण वादीगण की विभाजित भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादीगण को बेदखल नहीं करे और नहीं किसी से करावे । तहसीलदार औसिया द्वारा प्रस्तुत बन्तवारा प्रस्ताव को इस डिकी का भाग समझा जावे । वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करे, उपरोक्त अनुसार डिकी जारी की जाती है । मुवलिग.....बाबत ..... खर्चा मुकदमे के मय सूर व शरह ..... फिसदी सालाना आज की तारीख वसूलयागी तक .....को अदा करे । बसबूत मैरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13/3/19 को जारी की गई ।

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलाह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनाम		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाह			फिस कमिशनर		
मौका कमिशनर			बाबत इजराह हुक्मनामा		
जनाब इजराह हुक्मनामा			मुददफरीक		
अन्य					
योग			योग		

नोट पचा खर्च के काम पर के खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरीये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज कराने हये



सहायक कलेक्टर, औसिया